कार्यालय अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद (बिहार)

निविदा सूचना

मंडल कारा, औरंगाबाद एवं उप कारा, दाउदनगर हेतु खाद्यान्नों एवं विविध सामग्री हेतु निविदा सूचना

कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना के पत्रांक 6952 दिनांक 14.11.07, पत्रांक 1206 दिनांक 6.3.14 एवं पत्रांक 5008 दिनांक 15.9.14 के आलोक मे मंडल कारा, औरंगाबाद एवं उप कारा, दाउदनगर मे दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक प्रमुख खाद्यान्न, आलू, माँस, सरसों तेल, चीनी, हरी सब्जी एवं विविध सामग्रियों के बार्षिक क्रय हेतु दिनांक **21.02.2018** को **5:00** बजे ~~पूर्वाह्न~~/अपराह्न तक मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक **24.02.2018** को **11:00** बजे पूर्वाह्न/~~अपराह्न~~ में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद–सह–अध्यक्ष कारा क्रय समिति या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष संवेदको या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायगा। निविदा डाक द्वारा या हाथों–हाथ दिनांक **21.02.2018** को **5:00** बजे ~~पूर्वाह्न~~/अपराह्न तक मंडल कारा, औरंगाबाद के कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। हाथों–हाथ निविदा देने पर प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त किया जाय। उप कारा, दाउदनगर के लिए निविदा अधीक्षक, उप कारा, दाउदनगर के कार्यालय मे भी जमा की जा सकती है। निविदा की विस्तृत विवरणी औरंगाबाद के वेबसाईट www.aurangabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

तकनिकी निविदा हेतू निम्न शर्ते निर्धारित है:–

1. बिकी कर (GST), आयकर का अद्यतन प्रमाण–पत्र।
2. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा विगत छः माह के अन्दर का आचरण प्रमाण–पत्र।
3. फर्म का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
4. चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा विगत 3 बर्षो का Audit Report की छाया प्रति।
5. फर्म को काली सूची में दर्ज नही होने से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा।
6. वार्षिक खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु मंडल कारा, औरंगाबाद के लिये अग्रधन राशि मो0 40,000 (चालीस हजार) रूपये एवं हरी – सब्जी एवं आलू के लिये मो0 10,000 (दस हजार) रूपये तथा उप कारा, दाउदउनगर के लिये वार्षिक खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु 30,000 (तीस हजार) रूपये एवं हरी – सब्जी एवं आलू के लिये मो0 5,000 (पॉच हजार) रूपये का बैंक गारंटी प्रमाण–पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद एवं उप कारा, दाउदनगर के पदनाम से अलग–अलग प्रतिज्ञित कराकर जमा करना अनिवार्य होगा, साथ हीं निविदादाताओं द्वारा बिना कटिंग टाईप / कम्प्यूटराईज निविदा देना अनिवार्य है।

निविदा हेतु अन्य शर्त्ते :–

1. निविदादाताओं को निविदा दो लिफाफे में अलग–अलग देनी होगी, जिसमे एक लिफाफे में तकनीकि निविदा एवं दूसरे लिफाफे में सामग्री का नाम एवं दर का जिक्र होगा, जिसे वित्तीय निविदा कहा जाएगा। सर्वप्रथम तकनिकी निविदा को खोलकर जॉच की जायगी और जॉच के क्रम में सब तरह से सही पाये जाने पर हीं संबंधित संवेदक के वित्तीय निविदा पर विचार किया जायगा। निविदा के समय खाद्यान्नों एवं गुड़ का एक–एक किलो नमूना लाना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृति के उपरान्त किसी कारणवश सामानों की आपूर्ति संबंधित संवेदक द्वारा नहीं करने की स्थिति मे उक्त समान दूसरे संवेदक से लेने की छूट रहेगी, तथा अधिकाई व्यय संबंधित संवेदक/आपूरक को देय होगा एवं इसकी प्रतिपूर्ति असफल संवेदक से की जाएगी। सभी खाद्यान्न उत्तम गुणवत्ता के साथ–साथ मिलावट रहित होना चाहिए तथा सभी प्रकार के खाद्यान्नों एवं विविध सामग्रियों का मूल्य सभी